

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोल

दिनांक	फर्द अहकाम
--------	------------

28¹⁰/₂₄ पत्तावली पेशा डुई। सायल व सायल वकील उपस्थित नहीं। प्रकरण के सायल व सायल वकील को बार-बार अपील लगावाये जाने के बावजूद भी सायल व सायल वकील उपस्थित नहीं हुए। इससे जाहिर है कि प्रकरण को सायल व सायल वकील आगे चलाये रखने के लिये नहीं ले रहे हैं। अतः मु० नं० 43/2014 प्राथमा पत्र T.E. सिद्धनलाल वर्मा वनाम अरु सिद्ध वर्मा अरु पत्नी व अरु कानिरी के खानिज भिजा जाता है।

पत्तावली फेल ल शुमार की जमद नम्बरान से कम करते हुए, फाविल फलर को।

